जबलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय

1688. **श्री राघवजी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1997 में भूकम्प के कारण मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय को भारी क्षति पंहुची थी; यदि हां, तो कितनी अनुमानित क्षति हुई थी;

(ख) उपरोक्त क्षतिग्रस्त विश्वविद्यालतय के पुर्ननिर्माण अथवा व्यापक मरम्मत कार्य में कुल कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) उक्त कार्य के संबंध में अब तक कितनी धनराशि पहले ही व्यय की जा चुकी है और इसमें सरकार की कितनी भागीदारी रही; और

(घ) शेष कार्य में सरकार का योगदान कितना होगा; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां, 1997 में जबलपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय को भूकम्प के कारण भारी क्षति पंहुची थी। इस कार्य के लिए गठित समिति के अनुसार क्षति की अनुमानित लागत 4.50 करोड़ से 5.00 करोड़ रुपये के लगभग है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्षति का आकलन करने के लिए गठित समिति के अनुसार मरम्मत पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि 4.50 करोड़ से 5.00 करोड़ रुपये है।

(ग) अब तक 2.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है जिसमें से राज्य सरकार का अंश 1.50 करोड़ रुपये है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अंश 0.50 करोड़ रुपये है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस कार्य के लिए 1.00 करोड़ रुपये की राशि और देगी।

"ड्रिप" सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश का वर्गीकरण

1689. **श्री राघवजी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "ड्रिप" सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश को "ग" श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए मानदण्ड और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने राज्य को "ख" क्षेणी में रखने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया था और इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) चूंकि ड्रिप विनिर्माता जागरूकता के स्तर, राज्य की फैक्टरी से निकटता, परिवहन में शामिल दूरी, राज्य में ड्रिम सिंचाई की क्षमता और राज्य में लगाए गए करों के कारण घटकों के मूल्य हर राज्य में अलग-अलग होने के वजह से देशभर में ड्रिम प्रणाली समान मूल्य पर उपलब्ध करवाने में असमर्थ थे अतः देश को तीन श्रेणियों यथा क, ख एवं ग में बांट दिया गया। चूंकि सरकार द्वारा यह स्कीम आरंभ करते समय, मध्य प्रदेश में ड्रिप सिंचाई क्रियान्वित करने में जागरूकता का स्तर बहुत नीचा था, इसलिए राज्य को "ग" श्रेणी में रखा गया।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य को श्रेणी "ख" में रखने का अनुरोध करते हुए जनवरी, 1997 में एक प्रस्ताव भेजा था। मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया गया कि राज्यों के पुर्नवर्गीकरण से संबंधित प्रस्ताव को एक समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जाएगी जिसका गठन ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मूल्य ढांचे की समीक्षा के लिए किया गया है। राज्य सरकार को यह भी जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश के किसान अपनी सुविधानुसार, कहीं से भी ड्रिप प्रणाली खरीद सकते हैं। समिति की अन्तिम रिपोर्ट के शीघ्र ही मिलने की आशा है।

कृषि गत बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाना

1690. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि विशेषज्ञों ने सरकार से कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे में और अधिक निवेश करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कृषि संबंध बुनियादी ढांचे में कुल कितना निवेश किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या बुनियादी ढांचे संबंधी निवेश में वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस संबंध में सरकार की नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) पर्याप्त तथा उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु कृषि विकास के लिये वातावरण निर्मित करने हेतु अनिवार्यता मानी गयी है। नौंवी योजना के दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि आधारभूत ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) कृषि के समग्र आधारभूत ढांचे हेतु निवेश संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में निवेश के अनुमान तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उनके समतुल्य अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कृषि में सकल पूंजी निर्माण (1980-81 के मूल्यों पर)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1994-95	6256	1316	4940
1995-96	6961	1268	5993
996-97	6999	1132	5869

(ग) और (घ) पिछले कुछ समय में, कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर जोर पहले से किये गये निवेशों को इष्टतम बनाने पर दिया गया है। कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ाने की नीति में योजनागत परिव्यय में वृद्धि तथा आधारभूत ढांचे के विकास के लिये निवेश के अनुपात में वृद्धि करना; उत्पादकता बढ़ाने के लिये संसाधनों के अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का सृजन; त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम संबंध नई स्कीम लागू करना आदि शामिल हैं।

नौंवी योजना के दौरान, सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा अनुकूल मूल्य एवं व्यापार प्रशासन के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति

1691. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे:

(क) अति वृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा और कीट प्रकोप इत्यादि से होने वाली क्षति के प्रति किसानों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या राज्यवार योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) इस वर्ष उक्त कारणों से किसानों को कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या इस क्षति की भरपाई के लिए वहां पर कोई फसल बीमा और पशु बीमा योजना इत्यादि की शुरूआत किए जाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना का स्वरूप क्या होगा और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओलावृष्टि, भू-स्खलन तथा आग से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिये आपदा राहत निधि के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वार्षिक आवंटन किया जाता है जिसमें केन्द्र तथा संबंधित राज्यों द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है। हाल ही में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसलों पर कीटों के हमले की प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया गया है। अति गम्भीर प्रकृति की आपदाएं आने पर आपदा राहत निधि के अलावा, राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से भी सहायता दी जाती है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा आपदाओं के कारण सूचित क्षति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)**।

(ग) और (घ) व्यापक फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन पहली अप्रैल, 1985 से किया जा रहा है। इसमें गेहूं, धान, कदन्न, तिलहन तथा दलहन की खेती के लिये ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाले किसानों को शामिल किया गया है। एक प्रायोगिक फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन रबी 1997-98 से किया गया। तथापि, कुछ प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण, खरीफ, 1998 मौसम से प्रायोगिक फसल बीमा योजना के स्थान पर व्यापक फसल बीमा योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। ऋणी तथा गैर-ऋणी, दोनों प्रकार के किसानों को समाहित करने के

300/25-E 3A